राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम</th><th>प्रत्यर्थीगण का नाम</th><th>प्रस्तुतिकरण की दिनांक</th><th>अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>51/2025
गुलाब सिंह</td><td>राजस्थान राज्य, कृषि विभाग, पंचायती राज राजस्थान सरकार, जयपुर।
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
संभागीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) हनुमानगढ़, राजस्थान।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् हनुमानगढ़, राजस्थान।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी, बीकानेर, राजस्थान।</td><td>20.01.2025</td><td rowspan="4">श्री रतन अंकिया</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>125/2025
राजकुमार</td><td rowspan="2">राजस्थान राज्य, कृषि विभाग, पंचायती राज राजस्थान सरकार, जयपुर।
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर, राजस्थान।
संभागीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) बीकानेऱ, राजस्थान।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् बीकानेऱ, राजस्थान।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी, बीकानेर, राजस्थान।</td><td>21.01.2025</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>126/2025
धर्माराम गोदारा</td><td>21.01.2025</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>127/2025</td><td>राजस्थान राज्य, कृषि विभाग, पंचायती राज राजस्थान सरकार, जयपुर।
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
संभागीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) हनुमानगढ़, राजस्थान।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् हनुमानगढ़, राजस्थान।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी, बीकानेर, राजस्थान।</td><td>21.01.2025</td></tr>
</table>

आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान विवाद बंद होने से उपरोक्त समस्त अपीलों का निस्तारण इस समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 51/2025 गुलाब सिंह बनाम राज्य के तथ्य अंकित किए जा रहे हैं। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी कृषि परिवेक्षक के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी गुलाब सिंह का स्थानांतरण सोमसीसर, सहायक निदेशक कृषि चूरू से सारला सहायक निदेशक कृषि बाडमेर किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण किए जाने में नियम 8 (iii) राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरण गतिविधियां) नियम 2011 की पालना नहीं की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि कृषि विभाग द्वारा एक जिल से दूसरे जिले में प्रार्थी को स्थानांतरित किए जाने से पूर्व पंचायती राज विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया गया।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि स्थानांतरण के आदेश दिनांक 15.01.2025 में निम्न प्रकार से टिप्पणी अंकित की गई है ''यह आदेश माननीय मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा एवं जन अभियोग निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार से अनुमोदित है।''अतः उपरोक्त टिप्पणी से यह प्रकट होता है कि नियम 8(iii) राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) के

सम्यक रूप से पालना की जा चुकी है। ऐसे में हम स्थानांतरण आदेश में कोई नियम का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं।

5. ये नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने से कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है।
6. उपरोक्त समस्त अपीलों में कोई नियम विरोधता नहीं होने से समस्त अपीलें बलहीन व भारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।
7. मूल आदेश अपील संख्या 51/2025 में रखी जाए और आदेश की प्रतियां समस्त अन्य पत्रावलियों में संलग्न की जाए।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)